कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
इन्द्रावती भवन, ब्लाक 4, तृतीय तल, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़

Tel: - 0771-2221371 , 2221656, E-mail : cg_encphedcg@nic-in

आज़ादी का अमृत महोत्सव

कमांक 2932/त.शा.–2/F-116–2024–25/प्र.अ./लो.स्वा.यां.वि./2024 **अटल नगर, दिनांक** 21.06.2024

प्रति,

संचालक,
जनसंपर्क विभाग, संचालनालय
इन्द्रावती भवन, ब्लाक–प्रथम तल,
अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

E-Mail

विषयः– **लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में अप्रेन्टिश ,एक्ट 1961 (संशोधित 1973 एवं 1986) अंतर्गत प्रशिक्षण वर्ष 2024–25 हेतु प्रशिक्षुओं के चयन बाबत् विज्ञापन।**

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में अप्रेन्टिश एक्ट 1961 (यथा संशोधित) के तहत् इच्छुक प्रशिक्षुओं को 01 वर्षीय प्रशिक्षण दिया जाता है। इस हेतु अभ्यार्थियों के चयन हेतु विज्ञापन के प्रारूप की प्रति भेजी जा रही है।

कृपया आवेदन प्रारूप के साथ विज्ञापन कम से कम दो राज्यस्तरीय एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करने कष्ट करेंगे।

सहपत्र– दो पेज विज्ञापन हेतु
(तीन प्रतियों में)

(डॉ. एम.एल.अग्रवाल)
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर

पृ.क. 2933/त.शा.–2/F-116–2024–25/प्र.अ./लो.स्वा.यां.वि./2024 **अटल नगर, दिनांक** 21.06.2024

प्रतिलिपि–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र ..../अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंडल/वि./यां. मंडल../ कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड/परियोजना खण्ड/वि./यां. खण्ड..............................की ओर सूचना फलक में चस्पा करने प्रेषित।
3. सहायक निर्देशक शिक्षु प्रशिक्षण मण्डल (पश्चिम क्षेत्र),ए.टी.आई. कैम्पस, वी. एन. पूरव मार्ग, सीओन, मुंबई 400022 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. कार्यपालन अभियंता (MIS), कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, इन्द्रावती भवन, अटल नगर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि विभागीय वेब साइट में विज्ञापन अपलोड करें।
5. शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक कॉलेज, बैरन बाजार, सिविल लाईन, रायपुर की ओर सूचना फलक में चस्पा करने प्रेषित।
6. उदय प्रसाद उदय शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज जी.ई.रोड जिला दुर्ग की ओर सूचना फलक में चस्पा करने प्रेषित।

सहपत्रः– दो पेज विज्ञापन
(कमांक 02, 04, 05 एवं 06 के लिए)

प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
इन्द्रावती भवन, ब्लाक 4, तृतीय तल, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़
Tel: - 0771-2221371 , 2221656, E-mail : cg_encphedcg@nic-in

//"विज्ञापन"//

कमांक 2932/त.शा.–2/F-116–2024–25/प्र.अ./लो.स्वा.यां.वि./2024 अटल नगर, दिनांक 21.06.2024

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में शिक्षु प्रशिक्षण मण्डल, मुम्बई के निर्देशानुसार अप्रेंटिश एक्ट 1961 (यथा संशोधित) अंतर्गत ग्यारहवी बैच हेतु सिविल इंजीनियरिंग, मेकेनिकल इंजीनियरिंग, मार्डन ऑफिस मैनेजमेन्ट के लिये डिग्री/डिप्लोमाधारी 55 प्रशिक्षुओं के चयन हेतु आवेदको से 01 वर्षीय प्रशिक्षण हेतु निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। **ऑनलाईन आवेदन पत्र हेतु दिनांक 25.06.2024 (दोपहर 12:00 बजे) से 15.07.2024 (रात्रि 11:59 तक) की समयावधि में भरे जा सकेगें।** इच्छुक आवेदकों का https://nats.education.gov.in (nats 2.0) वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। विज्ञापन, आवेदन पत्र एवं नियम शर्ते का विस्तृत विवरण वेबसाइट https://phed.cg.gov.in में देखा जा सकता हैं।

इस चयन की प्रकिया में आरक्षण की स्थिति माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी.) कमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होंगी।

21/6/24
(डॉ. एम.एल.अग्रवाल)
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,

इन्द्रावती भवन, ब्लाक 4, तृतीय तल, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़
Tel: - 0771-2221371 , 2221656, E-mail : cg_encphedcg@nic-in

//"विज्ञापन"//

कमांक 2932 /त.शा.–2/F-116–2024–25/प्र.अ./लो.स्वा.यां.वि./2024 अटल नगर, दिनांक 21.06.2024

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में शिक्षु प्रशिक्षण मण्डल, मुम्बई के निर्देशानुसार अप्रेंटिश ,एक्ट 1961 (यथा संशोधित) अंतर्गत ग्यारहवी बैच हेतु नीचे दर्शित ट्रेड में एक वर्ष की अवधि के लिए, व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित है।

आवेदन की अंतिम तिथि 15.07.2024 (रात्रि 11:59 बजे तक)

कं.	ट्रेड का नाम	प्रशिक्षुओं की निर्धारित संख्या विभाग के लिये	शैक्षणिक योग्यता	विभाग द्वारा छात्रवृत्ति प्रतिमाह रूपये में भुगतान	मुम्बई मुख्यालय द्वारा DBT के माध्यम से छात्रवृत्ति प्रतिमाह रूपये में भुगतान	कुल छात्रवृत्ति भुगतान प्रतिमाह	प्रशिक्षण कार्यक्षेत्र	टीप
1.	सिविल इंजीनियरिंग	डिग्री– 10 डिप्लोमा– 10	छ.ग. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री/डिप्लोमा ।	डिग्री–4500.00 डिप्लोमा–4000.00	डिग्री–4500.00 डिप्लोमा–4000.00	डिग्री–9000.00 डिप्लोमा–8000.00	निकटतम जिला मुख्यालय	शासन के निर्देशानुसार अ.जा. हेतु 12 प्रतिशत, अ.ज.जा. हेतु 32 प्रतिशत एवं अ.पि.व. हेतु 14 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान रहेगा।
2.	मेकेनिकल इंजीनियरिंग	डिग्री– 05 डिप्लोमा– 05	छ.ग. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से मेकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री/डिप्लोमा ।	डिग्री–4500.00 डिप्लोमा–4000.00	डिग्री–4500.00 डिप्लोमा–4000.00	डिग्री–9000.00 डिप्लोमा–8000.00	निकटतम जिला मुख्यालय	
3.	मार्डन ऑफिस मैनेजमेन्ट	डिप्लोमा– 25	छ.ग. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से मार्डन ऑफिस मेनेजमेंट में डिप्लोमा।	डिप्लोमा–4000.00	डिप्लोमा–4000.00	डिप्लोमा–8000.00	इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर एवं विभाग के अन्य कार्यालयों के लिए।	
	कुल	**55**						

आवश्यक जानकारियां :–

1. इच्छुक अभ्यर्थी **दिनांक 25.06.2024 (दोपहर 12:00 बजे) से 15.7.2024 (रात्रि 11:59 तक) की समयावधि में** ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।
2. आवेदन करने वाले प्रत्येक आवेदक को भारत शासन की वेबसाईट https://nats.education.gov.in (nats 2.0) पर इन्रोल करना आवश्यक होगा बिना इन्रोलमेंट के आवेदन नही किया जा सकेगा।
3. अप्रेंटिश एक्ट 1961 (यथासंशोधित) पर संक्षिप्त विवरण के लिए विभाग की विभागीय वेबसाईट www.phed.cg.gov.in का अवलोकन करें। विस्तृत विवरण भारत सरकार की वेबसाईट www.apprentice.engineer.com पर देखी जा सकती है।
4. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करने की तिथि से ज्वाइंन करने तक 03 वर्ष से अधिक अंतराल होने की स्थिति में आवेदन पत्र मान्य नहीं किया जावेगा।
5. शिक्षु प्रशिक्षण मंडल मुम्बई के पत्र कमांक 13294 दिनांक 08.10.2001 अप्रेंटिश एक्ट 1961 के अनुसार प्रशिक्षण उपरांत विभाग नियुक्ति देने हेतु बाध्य नहीं रहेगा तथा इस हेतु कोई दावा मान्य नहीं होगा।
6. छात्रवृत्ति के अतिरिक्त कोई अन्य लाभ प्रशिक्षुओं को देय नहीं होगा।
7. प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षुता अधिनियम के अनुसार 12 आकस्मिक अवकाश, 15 मेडिकल अवकाश ही प्रदान किये जायेंगे, इनके अतिरिक्त समस्त शासकीय अवकाश भी मान्य रहेंगे। इसके अतिरिक्त अवकाश होने पर प्रशिक्षण निरस्त किया जा सकेगा।
8. प्रशिक्षण अवधि में बिना कारण त्याग पत्र दिया जाना मान्य नहीं होगा, त्याग पत्र के मान्य कारण (i) गंभीर बीमारी (ii) उच्च शिक्षा हेतु प्रवेश (iii) किसी विभाग में नियुक्ति होने पर निर्धारित है। बिना कारण प्रशिक्षण छोड़ने की स्थिति में प्रशिक्षु को 03 माह की छात्रवृत्ति की राशि वापस करनी होगी।
9. सफलता पूर्वक लगातार 01 वर्ष तक प्रशिक्षण पूर्ण करने पर अप्रेंटिसशिप के क्षेत्रीय निर्देशक मुम्बई द्वारा स्थाई प्रमाण पत्र प्रदाय किया जायेगा एवं अस्थाई प्रमाण पत्र संबंधित प्रशिक्षण कार्यालय से लिया जा सकेगा।
10. ऐसे आवेदक जो पूर्व में अप्रेंटिश ,एक्ट 1961 का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं वे इस प्रशिक्षण में पुनः शामिल नहीं किये जावेंगे।
11. पर्याप्त संख्या में डिग्री या डिप्लोमा के आवेदक नहीं मिलने पर संख्या परस्पर उसी ट्रेड अथवा अन्य ट्रेड में समायोजित की जायेगी।
12. प्रत्येक ट्रेड हेतु अंतिम सेमेस्टर/अंतिम वार्षिक परीक्षा के प्रतिशत के आधार पर मेरिट सूची (सामान्य, अ.जा., अ.ज.जा. एवं अ.पि.व) अलग–अलग बनाई जायेगी। जिनके आधार पर चयन किया जावेगा। प्रशिक्षण पूर्ण होने के फलस्वरूप एवं अन्य कारणों से रिक्त होने वाली सीटों के फलस्वरूप उद्भूत होने वाली रिक्तियों की पूर्ति प्रतीक्षा सूची से की जावेगी।
13. ऑनलाईन आवेदन के लिये आवेदक को कोई भी आवेदन शुल्क देय नही है।
14. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
15. आवेदक आवेदन फार्म मे वांछित समस्त प्रमाण पत्रों एवं फोटोग्राफ्स निर्धारित मापदंड अनुसार अपलोड करें।
16. **आवेदक आवेदन फार्म भरते समय यह ध्यान देवे कि DBT के भुगतान हेतु बैंक खाता में DBT Enable, आधार से लिंक, प्राइमरी अकाउंट एवं बैंक खाता NCPI (National Payments Corporation Of India) होना चाहिए।**

(डॉ. एम.एल.अग्रवाल)
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर